

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:-डॉ० अरुण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या:- 498/2025

श्री सुशील कुमार निवासी ग्राम ढाणा, उप तहसील सिंघाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं, मो०न० 9312322287

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 17.12.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 21.11.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 498/2025 पर दिनांक 21.11.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/5154-5155 दिनांक 21.11.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू०अ०/2025/1553 दिनांक 16.12.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री सुशील कुमार निवासी ग्राम ढाणा, उप तहसील सिंघाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं, का आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू०अ०/2025/388 दिनांक 09.12.2025 के द्वारा निम्न अधिकारीगण को अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु पत्र लिखा गया है:- 1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुंझुनूं, 2. उपखण्ड अधिकारी, बुहाना, 3. तहसीलदार, बुहाना, 4. नायब तहसीलदार, सिंघाना। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू०अ०/2025/1553 दिनांक 16.12.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री सुशील कुमार निवासी ग्राम ढाणा, उप तहसील सिंघाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं, का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के पत्रांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू०अ०/2025/388 दिनांक 09.12.2025 के द्वारा निम्न अधिकारीगण को अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु पत्र लिखा गया है:- 1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुंझुनूं, 2. उपखण्ड अधिकारी, बुहाना, 3. तहसीलदार, बुहाना, 4. नायब तहसीलदार, सिंघाना। चूंकि प्रार्थी का आवेदन विलम्ब से संबंधित को अन्तरित किया गया है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं संबंधित से सूचना संकलित कर प्रार्थी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे। साथ ही लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में निर्धारित समयावधि में ही प्रार्थना पत्र अन्तरण की कार्यवाही करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 17.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ० अरुण गर्ग)

जिला कलक्टर, झुंझुनूं